

अनवान

01. नर्बदा देवी पत्नि शंभूलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी फतहनगर  
तहसील बिजौलिया  
02. प्रेमदेवी पत्नि गोपाललाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी फतेहनगर  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा — प्रार्थीगण

बनाम

01. खनि अभियन्ता महोदय खान एवम् भू विज्ञान विभाग बिजौलिया जिला भीलवाडा  
02. तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय बिजौलिया  
03. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीष महोदय भीलवाडा — विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट  
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

आदेश

दिनांक 29-6-2015

प्रार्थनापत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व  
वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
मौजा खडीपुर स्थित आराजी नम्बर 1021/2 रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में  
स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज भूमि की दक्षिणी पूर्वी- पश्चिमी दिशा मे विपक्षी संख्या  
1 की नोटीफाईड सेण्ड स्टोन खडीपुर सी खनिज बाउण्डरी स्थित है जो राजस्व नक्शा ट्रेस मे  
सुपर इम्पोज किया हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चारो दिशाओ मे खनिज बाउण्डरी  
के पूर्वी दिशा मे ब्लाक नम्बर 36, 37, 38, 35 दक्षिणी दिशा मे ब्लाक नम्बर 27 व 28 पश्चिमी  
दिशा में ब्लाक संख्या 18, 17, 12, 13 उत्तर दिशा में ब्लाक संख्या 15 व ब्लाक संख्या 38 का  
आंशिक भाग स्थित हैं। ब्लाक धारियो द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व ब्लाको के बीच  
स्थित बिलानाम भूमि को अपने ब्लाकों के क्वारी लाईसेन्स में गेप फ़ैट के रूप में प्राप्त करने के  
लिए विपक्षी नम्बर एक के यहां आवेदन प्रस्तुत कर खनन की अनुमति प्राप्त की जाती है तो  
प्रार्थीगण को कृषि भूमि पर काश्त करना दुभर हो जायेगा। खनन कार्य से खातेदारी भूमि का  
स्वरूप बिगड जायेगा। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नष्टप्राय हो जाने का खतरा उत्पन्न हो  
जायेगा तथा कृषि भूमि पर काश्त करने से वंचित होना पडेगा। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के  
समीप पडी राजकीय बिलानाम भूमि में ब्लाकों के गेप पेट हेतु आवेदन स्वीकार कर विपक्षी  
नम्बर 2 से अनापति ले। ब्लाकधारियों के मूल क्वारी लाईसेन्स से जोडने हेतु तत्पर है जिन्हे  
रोका जोना आवश्यक है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जों की भूमि मौजा खडीपुर स्थित  
आराजी नम्बर 1021/2 रकबा 5 बीघा के आस पास की भूमि खनन कार्य हेतु अनुमति नहीं  
देने व खातेदारी भूमि को नष्ट होने से रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण  
तक स्वीकार फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया (भीलवाडा)

विपक्षी खनि अभियन्ता बिजौलिया ने जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकारते हुए  
ब्लाक धारियों को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है  
स्ट्रीप ऑफ लैण्ड पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली फेट गेप का लाभ


पत्रावली को नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा भी खनन के उद्देश्य से भूमि का क्रय किया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी के अनुसार ग्राम खडीपुर स्थित आराजी नम्बर 1021/2 रकबा 5 बीघा भूमि का प्रार्थीगण खातेदार है विपक्षी ने जवाब में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उस सम्बन्ध में मूल वाद में वाद बिन्दु का विनिश्चय किया जायगा। मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति हेतु अधिवक्ता विपक्षी ने भी सहमति दी है।

चुकि पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौके व रेकार्ड की स्थिति प्रार्थना पत्र अनुसार यथावत बनाये रखने हेतु सहमत है प्रकरण में प्रस्तुत सुपर इम्पोज नक्शे के अवलोकन से प्रार्थी की खातेदार भूमि के तीन दिशाओं में खनिज क्षेत्र है। खनिज क्षेत्र व खातेदारी भूमि के मध्य बिलानाम भूमि में खनन पटटे आंवटित होने से प्रार्थीगणों को होने वाली स्थाई क्षति कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी होगी। यह बिन्दू मूल वाद मे प्रस्तुत साक्ष्य से ही साबित होगा। पक्षकारान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से सटी हुई बिलानाम भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु सहमत है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पक्षकारान ग्राम खडीपुर स्थित आराजी नम्बर 1021/2 रकबा 5 बीघा भूमि व इस खातेदारी भूमि से सटी बिलानाम सरकारी भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे।

आदेश आज दिनांक 29-6-2015 को कोर्टकैम्प नयानगर मे लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूलवाद के साथ संलग्न रहे। प्रार्थना पत्र शुमार फ़ैसल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
विपक्षी अधिकारी  
बिलालिया (मूलवादा)